5817 / 23/10/13 vide 6212 / 12/11/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 20/2013–14

रामानन्द यादव एवं तीन अन्य बनाम श्रवण यादव एवं दो अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अनुशीलन किया। प्रस्तुत वाद में (1) रामानन्द यादव पिता– योगीन्दर यादव (2) ढ़ोढ़ाई यादव पिता– स्व0 कुसी यादव (3) नथुनी यादव पिता– पवित्र यादव एवं (4) नवल यादव पिता– चलित्तर यादव आवेदकगण तथा (1) श्रवण यादव पिता– स्व0 लालचन्द यादव (2) मोसमात अमरिका देवी पति– स्व0 रामपुनित राय ग्राम– मौजा– पोस्ट– भच्छी टोले उज्जैना भाया– आनन्दपुर थाना– बहेड़ी जिला– दरभंगा विपक्षी सदस्य हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा भच्छी टोले उज्जैना में अवस्थित :–	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
122 पु0	586 पु0	05 धुर	आवेदन में दर्ज नहीं है।
	300 नया		
	587 पु0	09 धुर	
	300 नया		
कुल रकवा		14 धुर	

आवेदकों के द्वारा दिनांक 03.04.2013 को शपथ पत्र एवं न्याय शुल्क मुद्रांक के साथ वाद पत्र दाखिल किया गया जिसपर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद को प्रतिग्रहित किया गया एवं विपक्षीयों को सूचना निर्गत की गई, विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा प्रश्नगत भूमि के निमित आवेदकों के कथन के विरूद्ध अपना प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए प्रतिउतर दाखिल किए जिसपर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

आवेदकों ने प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वामित्व एवं दखल कब्जा प्रख्यापित/स्पष्ट करने प्रश्नगत भूमि को बिक्री, हस्तान्तरण करने से विपक्षीगण को रोक लगाने और विपक्षीगण द्वारा निबंधन हेतु प्रस्तुत किये गये केवाला दस्तावेज को निबंधन करने से तत्काल जिला अवर निबन्धक, दरभंगा को रोकने का अनुरोध दिनांक 03.04.2013 को प्रस्तुत वाद पत्र में अनुरोध किया। जबकि विपक्षीयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे से विदित होता है कि पुनरीक्षण सर्वे के दौरान प्रश्नगत भूमि पर लालचन्द यादव के पुत्रगण लक्ष्मी यादव एवं श्रवण यादव का कब्जा मकान मय सहन के रूप में पाया गया तदनुसार इनलोगों के नाम से नया खाता खोला गया जिसके विरूद्ध आवेदकों ने

04/11/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	दफा– 106 बी0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में मोकदमा नं0– 147/08 दायर किया है जो माननीय के न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है। सुनने से विदित होता है कि आवेदकगण अपने परदादा तुफानी राउत के नाम से प्रश्नगत भूमि का साबिक खतियान दर्ज होने के आधार पर दावा करते हैं कि इनके परदादा ने प्रश्नगत भूमि मय मकान को अपने ग्रामीण लालचन्द यादव को रहने वास्ते दिये थे जिनके मरणोपरान्त विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि मय मकान को हड़पने की चेष्टा करने लगे और बदौरान रिभीजनल सर्वे कर्मचारी/पदाधिकारी के मिली भगत कर सर्वे खतियान के अधिकार कॉलम में अपना नाम अधिकार कॉलम में दर्ज करवा लिया जिसके विरूद्ध वाद लंबित है और अब उसे बजरिये जाली दस्तावेज से बिक्री करने पर अमादे है, जबकि विपक्षीयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिउतर से विदित होता है कि पुराने खतियानधारी तुफानी राउत अपने एक पुत्र सोभना राउत एवं एक पुत्री मानो देवी को छोड़कर मरे। मानो देवी के पति के अचानक मृत्यु हो जाने के उपरान्त मानो देवी ने अपने ससुराल की सारी सम्पति को बेंच कर अपने नैहर चली आई और अपने पिता से बसने हेतु प्रश्नगत जमीन 80 रू0 में खरीद की और उसमें घर बनाकर अपने बाल बच्चों के साथ रहती थी तथा चूँकि दोनों के बीच पिता–पुत्री का सम्बन्ध था इसलिए कोई कागज नहीं बना, मानो देवी अपने दो पुत्र लालचन्द एवं बालचन्द राउत को छोड़कर मर गई लालचन्द अपने पाँच पुत्र लक्ष्मी, श्रवण, रामदत्त, भगवान दत्त एवं अशेसर यादव को छोड़कर मर गये और इस वाद में लालचन्द के पुत्र श्रवण यादव विपक्षी पक्षकार सं0 01 एंव लक्ष्मी के पुत्र सिकन्दर यादव विपक्षी पक्षकार सं0 02 हैं। सुनने से विदित होता है कि लक्ष्मी यादव के पुत्र विपक्षी सिकिन्दर यादव ने प्रश्नगत भूमि से अपने हिस्से की 11 धुर जमीन मय मकान मोसमात अमरिका देवी पति– स्व0 रामपुनीत राय ग्राम– भच्छी को दिनांक 03.04.2013 को निबंधित केवाला द्वारा बेंच दिया तथा क्रेता को दखल कब्जा दे दिया है और अमरिका देवी जमीन एवं मकान पर दखल कब्जे में है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जिस दिन सिकिन्दर यादव द्वारा मोसमात अमरिका देवी को बयनामा प्रश्नगत भूमि मय मकान के निस्वत निष्पादित की गई उसी दिन आवेदकों ने यह वाद प्रस्तुत किया, जबकि यदि प्रश्नगत भूमि मय मकान पर आवेदकों का स्वत्वाधिकार था तो उन्हें सिकिन्दर यादव द्वारा निष्पादित बयनामा को खंडित करने हेतु सक्षम दिवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में स्वत्व न्याय निर्णीत करने एवं दस्तावेज रद्दीकरण का जटील प्रश्न निहित होना दृष्टिगोचर होता है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिरकार अन्तर्गत संभव नहीं है।	

10/11/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अतः आवेदकों को अपने दावे के उपचार हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष याचना करने का निदेश देते हुए प्रस्तुत कार्रवाई को Close (बन्द) किया जाता है। "अभिलेख संचिकास्त करें।" **लेखापित एव शुद्धित** 04/11/13 **भू० सु० उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 04/11/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	